न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 152/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/298

निर्णय दिनांकः 13.1.2026

1.वीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जरिये अध्यक्ष भगवानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1.फरसाराम पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

2.राजस्थान सराकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ जिला बीकोनर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक प्रार्थी ।
2. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी वीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर समिति सहकारी विभाग राजस्थान सरकार के सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या COOP/2021/**Bikaner**/2012221 दिनांक 18.09.2021 के अनुसार पंजीकृत संस्था है। जो गौवंश की रक्षा संरक्षण व संवर्धन का कार्य करती है। जिसका अध्यक्ष भगवानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ है। प्रार्थी संस्था की भूमि खेत खसरा नम्बर 1086/828 तादादी 0. 5058 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ है। जिसमें प्रार्थी संस्था की चतुर्दिक बाऊण्ड्री (तारबंदी पट्टीयां रोपकर) की हुई है, जिसमें टीन शेड साईज 64•30 वर्गफुट, गायो का छपरा 60"17 वर्गफुट, गायो के पीने के लिये पानी की खेल, पानी का कुण्ड, तीन चारा पात्र बनाये हुये है, जिसमें 70—80 गाये मौजूद है व पूर्वी और मुख्य गेट जिस पर वीर तेजा गौशाला समिति का नाम अंकित है । गौशाला के भीतर समिति का ऑफिस है । प्रार्थी संस्था को 0.5058 हैक्टेयर भूमि नौरंगराम पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर से जरिये दान—पत्र प्राप्त हुई है। जिसका नामान्तरण दर्ज होकर नया खसरा नम्बर 1086/828 हुये व जिसकी खातेदारी प्रार्थी संस्था के नाम दर्ज होकर नक्शा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया व उसका कब्जा भी मौके पर दान—पत्र के समय प्रार्थी संस्था वीर तेजा गौशाला को दे दिया गया था जो कि कायम है व प्रार्थी संस्था ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

लाखो रूपये खर्च कर उक्त भूमि में निर्माण करवाया व गायो के रहने की व्यवस्था की व करीब 70–80 गाये वहां मौके पर मौजूद है। जिस पर आज दिन तक प्रार्थी संस्था का कब्जा व उपयोग – उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी संस्था के उक्त खातेदारी भूमि का रास्ता गांव कल्याणसर से राजेडू जाने वाले रास्ता से पश्चिम में दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 फरसाराम जाट के खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के सींव की दक्षिण तरफ की सींव के पास से होकर प्रार्थी संस्था के खेत खसरा नम्बर 1086/ 828 तादादी 0. 5058 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे जाता है। उक्त रास्ता से प्रार्थी संस्था की गाये, संस्था के पदाधिकारी, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति उक्त खेत में प्रवेश करते है । यह रास्ता 485 फुट लम्बा व 28.3 फुट चौड़ा है। यह रास्ता खसरा नम्बर 827/ 500 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 फसरसाराम जाट ने प्रार्थी संस्था व गायो के लिये अपने उक्त खेत में से 485 फुट लम्बी व 28.3 फुट चौड़ी भूमि सार्वजनिक रास्ता के लिये दी थी । इस रास्ता से ही प्रार्थी संस्था की गायो, पदाधिकारीयो, कर्मचारीयो व अन्य व्यक्तियो का आवागमन चला आ रहा है। इसी एकमात्र मात्र से प्रार्थी संस्था की गाये पदाधिकारी, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति उक्त खेत गौशाला मे आवागमन करते चले आ रहे है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी संस्था के खे में आवागमन हेतु कोई अन्य सरल, सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक दावा अनुवानी वीर तेजा गौशाला समिति आदि बनाम फरसाराम आदि दावा संख्या 43/2024 बाबत घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का चला, जिसमें प्रार्थी संस्था व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हुआ, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 फरसाराम जाट ने यह लिखकर दिया कि ष्फरसाराम जाट खातेदारी खेत खसरा नम्बर 827/ 500 रोही मौजा कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का खातेदार है। इस खेत की भूमि में से दक्षिण तरफ की आधा बीघा भूमि 10 बिस्वा भूमि प्रथम पक्ष वीर तेजा गौशाला समिति, कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर को रास्ता हेतु देना तय किया था व लिखित में राजीनामा पेश किया था। जिसमें इस रास्ता की लम्बाई 485 फुट व चौड़ाई 28.3 फुट होगी। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 फरसाराम जाट ने 100/रूपये के एक स्टाम्प पर सहमति – पत्र भी लिखकर प्रार्थी संस्था को दिया था । प्रार्थी संस्था के खेत खसरा नम्बर 1086/ 828 का विद्वमान रास्ता जिसकी लम्बाई 485 फुट व चौड़ाई 28.3 फुट है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 827/ 500 में से होकर प्रार्थी संस्था के खेत खसरा नम्बर 1086/828 में प्रवेश करता है। इस प्रार्थना–पत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया गया है उसमें उक्त रास्ता A से B लाल स्याही से अंकित किया गया है । जिस रास्ता से प्रार्थी संस्था के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी उक्त खेत में प्रवेश करते है। जिसकी चौड़ाई 28.3 फुट व लम्बाई 485 फुट है । यही रास्ता प्रार्थी संस्था के खेत में जाता है, जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी संस्था के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता है। इस रास्ता से प्रार्थी संस्था की गाये, पदाधिकारी, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति सदामत से अपने उक्त खेत में प्रवेश करते आ रहे है। वर्णित रास्ता सुविधा का होकर आवश्यक रास्ता है। उक्त वर्णित रास्ता के अलावा प्रार्थी संस्था के खेत में पहुचने अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रास्ता से प्रार्थी संस्था की गाये, पदाधिकारी, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति उक्त खेत गौशाला में आवागमन करते है। प्रार्थी संस्था के खेत का रास्ता कल्याणसर से राजेडू जाने वाले मार्ग से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे से होकर प्रार्थी संस्था के खेत में प्रवेश करता है, की लम्बाई 485 फुट व चौड़ाई 28.3 फुट है जिसका कुल क्षेत्रफल 13,725.5 वर्गफुट है। जिसका प्रार्थी संस्था शुरू से ही उपयोग–उपभोग करती आ रही है। प्रार्थी संस्था अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. रेट या ऐसे प्रतिकर के संदाय करने को तैयार है जो श्रीमान्जी द्वारा अवधारित किया जाये । वर्णित रास्ता प्रार्थी संस्था के खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है बल्कि प्रार्थी संस्था के खेत में पहूंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है । विवादित रास्ता की भूमि रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। वर्णित रास्ता आवश्कता का है। इसलिए प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी कि श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्दर मिंयाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी संस्था के खेत खसरा नम्बर 1086/828 तादादी 0. 5058 हैक्टेयर रोही कल्याणसर,तहसील श्रीडूंगरगढ का रास्ता कल्याणसर से राजेडू जाने वाले मार्ग से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 827 /500 तादादी 1. 0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे से होकर प्रार्थी संस्थां के खेत गौशाला में प्रवेश करता है, की लम्बाई 485 फुट व चौड़ाई 28.3 फुट है जिसका कुल क्षेत्रफल 13,725.5 वर्गफुट है। उस रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ में गैर मुमकिन रास्ता (कटाणी) दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वार मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1086/828 तादादी 0.5058 हैक्टेयर रोही कल्याणसर, तहसील श्रीडूंगरगढ का रास्ता कल्याणसर से राजेडू जाने वाले मार्ग से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 827 /500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे से होकर प्रार्थी संस्थां गौशाला के खेत खसरा नंबर 1086/828 तादादी 0.5058 हैक्टेयर में प्रवेश करता है। जिसमें तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते की लम्बाई 148 मीटर व चौड़ाई 8.5 मीटर है जिसका कुल क्षेत्रफल 1258 वर्गमीटर है। उक्त रास्ता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में लाल स्याही से अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर भूमि मे से 0.1258 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जावेगी जिसकी सिंचित डीएलसी दर 858000/–रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 215,872/रूपये प्रार्थीगण से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करनें पर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 827/500 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 13.1.2026 ....को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:13 IST
Reason: SelfAttested